

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (भारतीय विद्युत अधिनियम 2003) गोहदजिला भिण्ड, (म0प्र0)(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)विशेष विद्युत प्रकरण क0 79/12संस्थापन दिनांक-18-05-2012

म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, द्वारा
श्री हरीश मेहता कनिष्ठ यंत्री म0प्र0म0क्षे0वि0वि0
कंपनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----परिवादी/परिवादी कंपनी

॥ वि रू द्ध ॥

राधेश्याम गौड़ पुत्र रामस्वरूप गौड़ आयु 38 वर्ष,
निवासी ग्राम माधव नगर पहाड़िया मालनपुर थाना
मालनपुर, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियुक्त

परिवादी की ओर से – श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अभियुक्त की ओर से – श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 16/04/18 को घोषित)

01. परिवादी पक्ष के द्वारा, अभियुक्त राधेश्याम के नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-3384 पर विद्युत बिल की राशि 36092/- रुपये बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 16.01.2012 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 24.01.12 को 02:00 बजे, ग्राम माधव नगर पहाड़िया थाना मालनपुर में उक्त अभियुक्त अनाधिकृत रूप से विद्युत लाईन पर दो सफेद रंग के पी.वी.सी. तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)ख का आरोप लगाया गया है।

- 02.** प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत/निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03.** प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी, म०प्र०म०क्ष० विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता/अभियुक्त राधेश्याम को घरेलू प्रकाश हेतु विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-3384 दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की राशि 36,092/- रुपए बकाया होने से और अभियुक्त द्वारा बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 02.01.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस प्र०पी०-1 भेजा गया था। तत्पश्चात् बकाया बिल की राशि अभियुक्त द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण दिनांक 16.01.12 को परिवादी कंपनी की ओर से उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विधिवत विच्छेदित कर दिया गया था और प्र०पी०-2 का नोटिस देकर विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश कनेक्शनधारी अभियुक्त राधेश्याम को दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 24.01.2012 को 02:00 बजे, ग्राम माधव नगर पहाड़िया थाना मालनपुर पहुंचकर जांच अधिकारी परिवादी हरीश मेहता जे.ई. द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण लाईन हेल्पर लाखन सिंह, रामजीलाल व अखिलेश तिवारी के साथ उक्त कटे हुये विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण करन पर उपभोक्ता/अभियुक्त राधेश्याम के द्वारा परिवादी कंपनी की विद्युत लाईन पर अनाधिकृत रूप से दो सफेद पी०वी०सी० तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर मौके पर उपस्थित अभियुक्त के समक्ष उक्त संबंध में पंचनामा प्र०पी०-3 तैयार किया गया, जिस पर अभियुक्त सहित उक्त कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियुक्त राधेश्याम के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश किया गया।
- 04.** परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहे जाने पर परिवादी कंपनी की ओर से परिवाद के समर्थन में परिवादी/साक्षी हरीश मेहता प०सा०-2 तथा लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी प०सा०-1 व रामजीलाल प०सा०-3 का परीक्षण कराया गया। तदोपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

- 01.** क्या अभियुक्त राधेश्याम के द्वारा दिनांक 24.01.12 को करीब 02:00 बजे, ग्राम माधव नगर पहाड़िया थाना मालनपुर में उसके नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-3384, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल.टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?
- 02.** दण्डादेश यदि कोई हो ?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-2 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 01.01.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0 वितरण कंपनी मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा ग्राम मालनपुर में घरेलू विद्युत उपभोक्ता राधेश्याम गोड़ पुत्र रामस्वरूप को देने के लिये घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71-1-3384 पर बकाया राशि 36092/- रुपये होने के कारण धारा 56 के अंतर्गत 15 दिवसीय नोटिस प्र0पी0-1 अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश तिवारी के माध्यम से भिजवाया था। तत्पश्चात् भी उपभोक्ता/अभियुक्त राधेश्याम द्वारा उक्त बकाया राशि जमा न करने के कारण उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश तिवारी को भेजकर दिनांक 16.01.12 को पोल से अस्थाई रूप से कनेक्शन विच्छेदित कराया था व प्र0पी0-2 का सूचना पत्र अभियुक्त को दिलाया था, लेकिन उसके बाद दिनांक 24.01.12 को उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण लाईन हेल्पर रामजीलाल, लाखन सिंह व अखिलेश तिवारी के साथ प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण किये जाने पर अभियुक्त के द्वारा कटे हुये कनेक्शन अनाधिकृत रूप से विद्युत लाईन से पुनः जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुये पाये जाने पर उक्त संबंध में मौके पर ही प्र0पी0-3 का पंचनामा बनाया था।

07. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि यह सही है कि धारा 56 के नोटिस प्र0पी0-1 पर दिनांक के स्थान पर काटपीट की गई है एवं उक्त नोटिस पर जावक नंबर नहीं है। कर्मचारी अखिलेश तिवारी को प्र0पी0-1 का नोटिस तामील हेतु दिनांक 01.01.12 को उसने दिया था, लेकिन उसे नहीं मालूम कि प्र0पी0-1 के नोटिस को कर्मचारी अखिलेश तिवारी ने अभियुक्त पर कब

तामील कराया था। यह सही है कि नोटिस प्र०पी०-1 पर तामील की तारीख नहीं लिखी है। यह सही है कि नोटिस प्र०पी०-2 की तारीख में काटपीट की गई है एवं जावक क्रमांक नहीं है। प्र०पी०-2 का नोटिस उसने अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश तिवारी को 16.01.12 को दिया था, लेकिन उसे नहीं मालूम कि अभियुक्त पर किस दिनांक को नोटिस तामील कराया गया। उसे नहीं मालूम कि निरीक्षण दिनांक को और कितने लोगों के यहां निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय मौके पर गांव के तीन-चार लोग आ गये थे। उसे नहीं मालूम कि अभियुक्त राधेश्याम के मकान में कितने कमरे हैं तथा उसने अभियुक्त राधेश्याम के मकान के अंदर जाकर नहीं देखा था कि राधेश्याम के यहां कितना लोड है। स्वतः कहा कि उससे पूछकर ही भरा था। उसके द्वारा पंचनामा तैयार करते समय किसी को नहीं बुलाया गया था। यह सही है कि पंचनामा प्र०पी०-3 पर आसपास के लोगों के हस्ताक्षर नहीं है। स्वतः कहा कि उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। यह सही है कि उसे वसूली का टारगेट मिलता है और वसूली न होने पर कार्यवाही की जाती है तथा यह गलत होना बताया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध झूठा प्रकरण पेश किया है।

08. परिव्रादी साक्षी लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी प०सा०-1 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 02.01.12 को म०प्र०म०क्षे०वि० वितरण कंपनी मालनपुर में लाईन हैल्पर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता के द्वारा धारा 56 का 15 दिवसीय नोटिस प्र०पी०-1 अभियुक्त राधेश्याम गोड़ पुत्र रामस्वरूप निवासी माधव नगर मालनपुर पर तामील हेतु उसे दिया गया था। उक्त नोटिस उसके द्वारा अभियुक्त राधेश्याम को प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 16.01.12 को 7 दिवसीय नोटिस प्र०पी०-2 अभियुक्त राधेश्याम गोड़ को तामील हेतु उसे कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता द्वारा दिया गया था, जिसे उसने अभियुक्त को प्रदान किया था। तत्पश्चात् दिनांक 24.01.12 को समय 02:00 बजे कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारीगण लाखन सिंह, उसके व रामजीलाल के साथ उक्त विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण किये जाने पर अभियुक्त को परिव्रादी कंपनी के पोल से पी०वी०सी० के दो सफेद तार लगभग 50 मीटर डालकर विद्युत की चोरी करते हुये पाये जाने पर उक्त संबंध में मौके पर प्र०पी०-3 का पंचनामा बनाया गया था।

09. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसे 15 दिवसीय नोटिस दिनांक 02.01.12 को तामीली हेतु कनिष्ठ यंत्री के द्वारा दिया गया था तथा नोटिस का जावक क्रमांक उसे याद

नहीं है। प्र0पी0-1 व 2 के नोटिस उसने स्वयं अभियुक्त राधेश्याम पर उसके घर जाकर तामील कराये थे तथा यह गलत होना बताया है कि वह झूठे कथन कर रहा है।

10. परिवारी साक्षी लाईन हेल्पर रामजीलाल प0सा0-3 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 24.01.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0 वितरण कंपनी मालनपुर में लाईन हैल्पर के पद पर पदस्थ होकर कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता के साथ चैकिंग हेतु अभियुक्त के यहां मालनपुर स्थित परिसर पर गये थे। जहाँ अभियुक्त के द्वारा कटे हुये कनेक्शन को पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जा रहा था, जिसका मौके पर पंचनामा प्र0पी0-3 तैयार किया गया था।

11. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसे नहीं मालूम कि अभियुक्त के मकान के चारों दिशाओं में किसके मकान हैं। निरीक्षण दिनांक को हरीश मेहता व तिवारी जी उसके साथ गये थे और उसे नहीं मालूम कि अन्य कौन-कौन गये थे। घटनास्थल पर कोई झगडा या विरोध नहीं हुआ था। अभियुक्त का कनेक्शन कब विच्छेदित किया गया था उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि प्र0पी0-3 के पंचनामे पर क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है उसने तो अधिकारी के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे तथा यह गलत होना बताया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

12. इस प्रकार विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवारी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-2 का अपने मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में कहना है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने के कारण उन्होंने दिनांक 01.01.12 को उपभोक्ता/अभियुक्त राधेश्याम को देने के लिये प्र0पी0-1 का नोटिस अपने अधीनस्थ कर्मचारी लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी को दिया था एवं अखिलेश तिवारी ने उक्त नोटिस अभियुक्त राधेश्याम को दिया था। लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी प0सा0-1 ने भी अपने कथनों में उपरोक्तानुसार कथन किये हैं, लेकिन उक्त साक्षी अखिलेश तिवारी प0सा0-1 ने अपने मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में प्रकट किया है कि कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता ने उसे अभियुक्त को देने के लिये प्र0पी0-1 का नोटिस दिनांक 02.01.12 को दिया था। नोटिस प्र0पी0-1 के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उक्त नोटिस की भाषा में "आज दिनांक 02.01.12" स्पष्ट रूप से लेख है और उक्त नोटिस के उपरी भाग में जावक दिनांक 02.01.12 को बाद में काटकर 01.01.12 किया गया है। अतः परिवारी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता

प०सा०-1 का यह कथन विश्वासप्रद नहीं पाये जाते हैं कि उन्होंने अभियुक्त पर तामीली के लिये प्र०पी०-1 का नोटिस दिनांक 01.01.12 को अपने अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश तिवारी प०सा०-1 को दिया था, बल्कि प्र०पी०-1 का नोटिस कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश को दिनांक 02.01.12 को ही दिया जाना पाया जाता है और उक्त संबंध में परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-2 एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी प०सा०-1 के कथनों के मध्य महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना पाया जाता है।

13. परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-2 एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी लाईन हेल्पर रामजीलाल प०सा०-3 का अपने कथनों में परिवादी पक्ष के इस मामले के विपरीत कहना है कि प्रश्नगत निरीक्षण के समय अभियुक्त के द्वारा कटे हुये प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को ही परिवादी कंपनी की विद्युत लाईन से जोड़कर विद्युत का अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जाना पाया गया था, लेकिन अन्य अधीनस्थ कर्मचारी लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी प०सा०-1 का कहना है कि प्रश्नगत निरीक्षण के समय अभियुक्त द्वारा पी.वी.सी. के दो सफेद तार लगभग 50 मीटर के डालकर विद्युत की चोरी करते हुये पाया गया था और मौके पर विरोध के कारण कोई जप्ती नहीं हो सकी थी, जबकि स्वयं परिवादी हरीश मेहता प०सा०-2 का अपने न्यायालयीन कथनों में उक्त संबंध में कुछ भी कहना नहीं है और अन्य लाईन हेल्पर रामजीलाल प०सा०-3 का अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 2 में स्पष्ट रूप से कहना है कि घटनास्थल पर कोई झगडा या विरोध नहीं हुआ था। इस प्रकार परिवादी हरीश मेहता प०सा०-2 के उक्त कथनों की पुष्टि स्वयं उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण के कथनों से होना नहीं पाई जाती है, बल्कि उक्त तीनों साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना पाया जाता है।

14. परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प०सा०-2 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि उसने प्र०पी०-2 का नोटिस अभियुक्त राधेश्याम पर तामील कराने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश तिवारी को दिनांक 16.01.12 को दिया था और उक्त दिनांक को ही अधीनस्थ कर्मचारी अखिलेश तिवारी प०सा०-1 के द्वारा अस्थायी रूप से प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन का अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, लेकिन कथित अधीनस्थ कर्मचारी लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी प०सा०-1 ने स्वयं अपने न्यायालयीन कथनों में इस संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया है कि उसने मौके पर जाकर दिनांक 16.01.12 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया

था, बल्कि उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 16.01.12 को अभियुक्त को प्र0पी0-2 का नोटिस तामील कराया जाना भर बताया है और विद्युत कनेक्शन को पोल से काट दिये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया है तथा अन्य साक्षी रामजीलाल प0सा0-3 का अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कहना है कि अभियुक्त का कनेक्शन कब विच्छेदित किया गया था उसे जानकारी नहीं है एवं उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि प्र0पी0-3 के पंचनामे पर क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है और उसने तो केवल अधिकारी के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अतः अभिलेख पर दिनांक 16.01.12 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण एवं मूल साक्ष्य का अभाव होने के कारण मामले में परिवादी पक्ष के मामले के अनुसार युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि दिनांक 16.01.12 को लाईन हेल्पर अखिलेश प0सा0-1 द्वारा अस्थायी रूप से कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था।

15. परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत निरीक्षण के समय अभियुक्त के द्वारा कटे हुये कनेक्शन को दोबारा लाईन से जोड़कर विद्युत का अनाधिकृत रूप से उपयोग करते हुये पाया जाना बताया है, लेकिन उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में मामले में परिवादी पक्ष के मामले के अनुसार युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं हुआ है कि दिनांक 16.01.12 को लाईन हेल्पर अखिलेश प0सा0-1 द्वारा अस्थायी रूप से कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था। अतएव मामले में प्रश्नगत निरीक्षण के समय अभियुक्त के द्वारा कटे हुये कनेक्शन को पुनः विद्युत लाईन से जोड़कर अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग किया जाना भी साबित नहीं होता है।

16. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 16.01.12 को प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया जाना एवं अभियुक्त को प्र0पी0-2 का नोटिस दिया जाना बताया है, जबकि उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के आधार पर मामले में अभियुक्त राधेश्याम को देने के लिये प्र0पी0-1 का नोटिस दिनांक 02.01.12 को जारी किया जाना पाया गया है। अतः उक्त आधार पर यह भी स्पष्ट है कि यदि परिवादी पक्ष के कहे अनुसार तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से दिनांक 16.01.12 को विच्छेदित कर दिया गया था, तब भी

उक्त कनेक्शन को परिवादी पक्ष द्वारा विहित समयावधि 15 दिवस गुजरने के पूर्व ही विधि विरुद्ध रूप से काट दिया जाना पाया जाता है। तदनुसार मामले में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है।

17. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-1 द्वारा जारी किये गये नोटिस प्र0पी0-1 व प्र0पी0-2 के अवलोकन से पाया जाता है कि प्र0पी0-1 के नोटिस के उपरी भाग में गलत रूप से बाद में दिनांक 02.01.12 को काटकर 01.01.12 किया गया है और प्र0पी0-2 के नोटिस में दोनों जगह 17.01.12 को काटकर 16.01.12 किया गया है तथा उक्त संबंध में परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-2 द्वारा जिरह के दौरान स्पष्ट स्वीकारोक्तियां भी की गई हैं, लेकिन उक्त काटपीट के संबंध में कोई भी संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किया गया है। तारीख लिखने में प्रत्येक जगह गलती हो जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है एवं इस संबंध में अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि प्र0पी0-1 का नोटिस अभियुक्त पर किस दिनांक को तामील कराया गया था, बल्कि मौके का पंचनामा प्र0पी0-3 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें परिवादी कनिष्ठ यंत्री द्वारा दिये गये कथनों से असंगत यह लेख किया गया है कि विरोध के कारण जप्ती नहीं हो सकी है एवं मौके पर दो पी.वी.सी. सफेद रंग के तार 50 मीटर लंबे डले हुये थे। इस प्रकार प्र0पी0-3 के पंचनामा एवं परिवादी कनिष्ठ यंत्री हरीश मेहता प0सा0-2 के कथनों के मध्य महत्वपूर्ण विसंगति होना पाई जाती है और पंचनामा प्र0पी0-3 के मौका नक्शा में विद्युत लाईन से अभियुक्त के घर तक विद्युत के तार डले होना भी नहीं दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर भी मामले में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होकर परिवादी पक्ष द्वारा की गई प्रश्नगत कार्यवाही संदिग्ध स्वरूप की होना पाई जाती है।

18. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर परिवादी हरीश मेहता प0सा0-2 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त राधेश्याम के द्वारा दिनांक 24.01.12 को करीब 02:00 बजे, ग्राम माधव नगर पहाड़िया थाना मालनपुर में उसके नाम से प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-01-3384, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था, को अनाधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा

रहा था। तदनुसार अभियुक्त राधेश्याम को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(ख) के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त जमानत पर है अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0